

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./आर-2-21/2018/16037

भोपाल, दिनांक 16/11/2018

// आदेश//

पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक पं.रा.एफ-2-36/2018/1863 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत खेड़ीकित्ता जनपद पंचायत खण्डवा एवं ग्राम पंचायत मोरघड़ी जनपद पंचायत पुनासा जिला खण्डवा में सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा से प्राप्त पत्र क्रमांक 1344 दिनांक 04.09.2018 द्वारा द्वितीय किशत के आवंटन की मांग किये जाने पर निम्नानुसार द्वितीय किशत हेतु आवंटन संचालनालय की योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

| क्र. | जिला | जनपद | ग्राम पंचायत | कार्य का नाम | कुल स्वीकृत राशि | जारी की जाने वाली द्वितीय किशत की राशि लाख में |
|------|--------|--------|--------------|---------------|------------------|--|
| 1 | खण्डवा | खण्डवा | खेड़ीकित्ता | सामुदायिक भवन | 20.00 | 10.00 |
| 2 | खण्डवा | पुनासा | मोरघड़ी | सामुदायिक भवन | 20.00 | 10.00 |
| | | | | योग | | 20.00 |

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद पंचायत में जमा कराया जाना होगा। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(शमीम उद्दीन)

संचालक

पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 16/11/2018

पृ.क्रमांक/पं.रा./आर-2-21/2018/16038

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय आयुक्त, इंदौर संभाग म.प्र को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त दोनों ग्राम पंचायतों को उपरोक्तानुसार राशि प्रदाय की जारी रही है।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार द्वितीय किशत की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करावे।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर सूचनार्थ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खण्डवा एवं पुनासा जिला खण्डवा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कार्य का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर जनपद पंचायत में संधारित करें।
7. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।
8. मैनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक

पंचायत राज संचालनालय, (म.प्र.)